mall

म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जैल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/ 141 भोपाल/दिनांक 27/10/2021

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
----------------जिला--------------(समस्त)

विषय:- मण्डी प्रांगणों में असामाजिक गतिविधियों को कड़ाई से रोकने बावत निर्देश|

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि खरीफ विपणन सीजन प्रारम्भ हो गया है, मण्डी समितियों में कृषि उपजों की आवक कृषक भाईयों द्वारा की जा रही है। मण्डी समितियों में देर रात तक तौल कार्य तथा भुगतान की कार्यवाही होती है। व्यापारियों द्वारा मण्डियों में अधिक आवक को क्रय कर नियमानुसार नगद भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। मण्डी प्रांगणों में विपणन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे इस हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

01. मण्डी समिति का समस्त अमला निर्धारित गणवेश में अपने कार्यस्थल पर सचिव द्वारा सौपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता से करेंगे।
02. मण्डी समितियों में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों को भी निर्धारित गणवेश में अपने कार्यस्थल पर सचिव द्वारा सौपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता से कराएंगे।
03. मण्डी प्रांगणों के प्रवेश द्वारों तथा निकासी द्वारों पर विशेष निगरानी रखी जाए कि कोई भी अनुपयुक्त व्यक्ति प्रांगण में प्रवेश न करें इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
04. मण्डी प्रांगणों में रात्रिकालीन गश्त में सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ मण्डी के निरीक्षक तथा सहायक उपनिरीक्षकों को भी गश्ती के लिए पाबंद किया जावे।
05. मण्डी समितियों में लगे हुए समस्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरे पूर्ण रूप से कार्य करते रहें तथा कैमरों का नियमित रूप से अवलोकन मण्डी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। कोई भी असामान्य घटना दिखने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
06. मण्डी प्रांगणों में कोई भी असामाजिक घटना जैसे जुआ, सट्टा, मदयपान, धूम्रपान, अनाधिकृत पार्किंग न हो इसका पूरा-पूरा ख्याल मण्डी समिति रखेगी, इस तरह की कोई भी घटना संज्ञान में आने पर तत्काल इसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाने में की जावे।
07. मण्डी में कार्य करने वाले हम्मालों, तुलावटियों को पहचान पत्र विशेष रूप से प्रदाय किए जाएं, जिससे रात्रिकालीन आवागमन में हम्मालों, तुलावटियों को कोई असुविधा न हो और उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

08. हम्माल संघों, तुलावटी संघों, व्यापारी संघों तथा किसान संगठनों से मण्डी प्रांगण में शांतिपूर्ण विपणन कार्यवाही निर्विवाद रूप से सम्पादित होता रहे, इस बावत समस्त मण्डी सिमितियां बैठक कर मण्डी प्रांगण में होने वाली किसी भी किस्म की अपराधिक घटनाओं को रोकने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करेंगी।

09. समस्त मण्डी सचिव अपने अधीनस्थ मण्डी निरीक्षकों, सहायक उपनिरीक्षकों, सुरक्षा कर्मियों तथा मण्डी समितियों के अन्य स्टाफ के साथ समय-समय पर बैठक कर मण्डी प्रांगण में होने वाली समस्त गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे तथा कोई भी असामान्य घटना दृष्टिगोचर होने पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

10. मण्डी प्रांगण की सुरक्षा दीवार (बाउण्ड्रीवाल), प्रवेश द्वार विदयुत व्यवस्था पूर्ण रूप से क्रियान्वित रहे यह भी मण्डी समिति सुनिश्चित करेगी। अगर कहीं सुरक्षा दीवार (बाउण्ड्रीवाल) क्षतिग्रस्त है तो तत्काल उसका सुदृढीकरण करेगी।

11. समस्त आंचलिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मण्डी सचिवों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर उनके मण्डी प्रांगणों में अगर कोई असामान्य घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्त प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुए मण्डी प्रांगण में विपणन व्यवस्था सुगमता से संचालित होती रहे इस हेतु अन्य कोई कार्यवाही मण्डी समिति उपयुक्त समझे तो विपणन एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कर सकती है।

(विकास नरवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/ 142 भोपाल/दिनांक 27/10 /2021

प्रतिलिपि :-

01. पुलिस अधीक्षक, जिला .... (समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से भी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि मण्डी प्रांगणों में नियमित तथा प्रभावी गश्त होती रहे।

02. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)- -------------------की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल